

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

प्रश्न संख्या : 491

26 , 2019

प्रश्न संख्या

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

\*491. डॉ० संजय जायसवाल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को यह अवगत है कि प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत अनेक निजी मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले अपने स्वयं के क्लिनिकों/नर्सिंग होम में प्रत्येक माह में एक बार गभवती महिलाओं को निःशुल्क जांच और निःशुल्क उपचार प्रदान करके अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) राजस्थान विशेषकर उदयपुर जिले में उक्त योजना से अब तक लाभान्वित हुई महिलाओं की संख्या कितनी है;
- (घ) सरकार द्वारा ऐसे निजी मेडिकल प्रैक्टिस करने वालों को सम्मानित करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि ऐसी सेवाएं प्रदान करने हेतु अधिक से अधिक मेडिकल प्रैक्टिस करने वालों को प्रोत्साहित किया जा सके; और
- (ङ) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत और अधिक संख्या में कृषक परिवारों को सम्मिलित करने हेतु कोई नये कदम उठाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( . . . )

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(क): प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएम) सभी गभवती महिलाओं को सावभौमिक रूप से प्रत्येक माह को 9 तारीख को निर्धारित दिन पर सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है।

निजी क्षेत्र में कायरत प्रसूति और स्त्री रोग (ओबीजीवाई) विशेषज्ञों/ रेडियोलॉजिस्टों/ चिकित्सकों को अभियान में स्वेच्छा से भाग लेने और प्रत्येक माह 9वें दिन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निजी क्षेत्र के चिकित्सकों के अलावा, सरकारी क्षेत्र के चिकित्सक भी गभवती महिलाओं का प्रसव पूर्व चेकअप करने के लिए पीएमएसएम के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

(ख): निजी चिकित्सक निम्नलिखित में से किसी भी तंत्र के माध्यम से इस अभियान के लिए पंजीकरण करा सकते हैं:

- टोल फ्री नंबर- चिकित्सक पंजीकरण के लिए 18001801104 पर कॉल कर।
- एसएमएस- चिकित्सक 5616115 पर पीएमएसएम <नाम> पर एसएमएस कर सकते हैं।
- पीएमएसएम पोर्टल- [www.pmsma.nhp.gov.in](http://www.pmsma.nhp.gov.in) पर पंजीकरण कर।
- मोबाइल एप्लिकेशन के भाग 'स्वैच्छिक पंजीकरण' का प्रयोग करते हुए पंजीकरण कर।

5799 स्वयंसेवियों (चिकित्सकों) ने देशभर में अभियान के लिए पंजीकरण कराया है। इसके राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग): इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान में 19.8 लाख से अधिक प्रसव पूर्व जांच को गई और उदयपुर में इस कार्यक्रम के तहत 67600 प्रसवपूर्व जांच को गई है।

(घ): राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 'आई प्लेज फॉर 9' का उपलब्धि पुरस्कार समारोह 29 जून, 2018 को आयोजित किया गया था। कुल 36 निजी क्षेत्र के प्रैक्टिशनरों को व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए और दो संगठनों नामतः एफओजीएसआई और आईएमए को इस पहल में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। उनको भागीदारियों को मान्यता देने के लिए एक वचुअल 'हाल ऑफ फेम' <https://pmsma.nhp.gov.in/hall-of-fame-2/> भी प्रारंभ किया गया है। अनेक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान आदि ने भी निजी क्षेत्र के प्रैक्टिशनरों को पीएमएसएम में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया है।

(ङ): कृषक परिवारों को गभवती महिलाओं समेत सभी गभवती महिलाएं पीएमएसएम के तहत सेवाएं प्राप्त करने को हकदार हैं। अधिक से अधिक गभवती महिलाओं को पीएमएसएम सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) अभियान नियमित रूप से चलाए जाते हैं। गभवती महिलाओं को अपने नजदीकी पीएमएसएम सुविधा केंद्रों को ढूंढने में मदद करने के लिए एक मोबाइल और वेब आधारित एप्लिकेशन बनाई गई है। इस सेवा तक पहुंचने के लिए, गभवती महिलाएं <https://pmsma.nhp.gov.in/or> को देख सकती हैं या 'पीएमएसएम' मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकती हैं।

उ	स यसेवियों (चिकित्सकों) को कुल संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4
आंध्र प्रदेश	145
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	92
बिहार	279
चंडीगढ़	5
छत्तीसगढ़	271
दादरा और नागर हवेली	8
दमन और दीव	0
दिल्ली	145
गोवा	8
गुजरात	371
हरियाणा	312
हिमाचल प्रदेश	16
जम्मू और कश्मीर	23
झारखंड	120
कनाटक	394
केरल	79
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	714
महाराष्ट्र	786
मणिपुर	18
मेघालय	5
मिजोरम	9
नागालड	1
ओडिशा	188
पुद्दुचेरी	7
पंजाब	101
राजस्थान	728
सिक्किम	11
तमिलनाडु	79
तेलंगाना	49
त्रिपुरा	15
उत्तर प्रदेश	654
उत्तराखंड	36
पश्चिम बंगाल	124
	5799